

रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट 110010
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा/XIV/19015/सरकारी आदेश/2014
No. AN/XIV/19015/Govt. Orders/2014

दिनांक: 15.10.2014

सेवा मे,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक / रक्षा लेखा नियंत्रक

All PCsDA/CsDA

(Through CGDA Mail Server)


विषय: यात्रा भत्ता नियम-यात्रा भत्ते के बिलों के साथ बोर्डिंग पास प्रस्तुत किए जाने के सम्बंध में ।

**Sub: Travelling Allowance (TA) Rules-submission of Boarding Pass
alongwith TA bills-reg.**

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 08/10/2014 के कार्यालय ज्ञापन सं० 19030/3/2014-ई.IV की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है ।

A copy of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure), Office Memorandum No. 19030/3/2014-E.IV dated 08/10/2014 on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and necessary action please.

संलग्नक: यथोपरि ।




(उपेन्द्र कुमार)

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4 (स्थानीय)।
2. लेखा परीक्षा- 1,2,4 (स्थानीय) ।
3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय) ।
4. ई डी पी सेन्टर (स्थानीय) ---- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केन्द्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी ।
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय) ।
7. मास्टर नोट बुक (प्रशासन-14) ।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे [द्वारा-रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे] ।
9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (एच.क्यू) कोलकाता [द्वारा -प्रधान लेखा नियंत्रक (फेक्ट्री) कोलकाता] ।



(उपेन्द्र कुमार)

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

सं. 19030/3/2014-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

8 अक्टूबर, 2014


कार्यालय ज्ञापन

विषय: यात्रा भत्ता नियम- यात्रा भत्ते के बिलों के साथ बोर्डिंग पास प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

इस विभाग में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकारी खर्च पर की गई हवाई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते के बिलों के साथ बोर्डिंग पास प्रस्तुत किए जाने से संबंधित वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. महालेखानियंत्रक के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सिविल लेखा मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, भुगतान और लेखा कार्यालयों को अधिदेश दिया गया है कि वे आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए रिकार्ड प्रस्तुत करने को कहें कि जिस यात्रा के लिए यात्रा भत्ते का दावा किया गया है, वह वास्तव में की गई थी और तदनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों से यात्रा भत्ते के बिलों के साथ बोर्डिंग पास संलग्न करने के लिए कहा जाए।

3. चूंकि यात्रा भत्ते के दावों को पास करने के लिए की गई यात्रा प्रमाण के तौर पर बोर्डिंग पास का प्रस्तुत किया जाना नियमों और पद्धतियों के तहत आवश्यक है इसलिए सभी संबंधितों द्वारा इन अनुदेशों का पालन आवश्यक है। तदनुसार मंत्रालयों/विभागों आदि को सलाह दी जाती है कि इन अनुदेशों को सख्ती से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।



(सुभाष चन्द्र)

निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि:

1. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।
2. एनआईसी, वित्त मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

No. 19030/3/2014-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 8th October, 2014


Office Memorandum

**Subject: Travelling Allowance(TA) Rules- submission of Boarding Pass
alongwith TA bills- reg.**

References have been received in this Department, seeking review of the existing guidelines relating to submission of Boarding Passes alongwith TA bills for air journeys performed on Government account.

2. O/o Controller General of Accounts have clarified that as per provisions of Civil Accounts Manual, Pay and Account Offices are mandated to ask the DDOs to produce records to ensure that the journey for which TA is being claimed, was actually performed and DDOs may accordingly be asked to enclose the Boarding Passes with the TA bills.

3. Since submission of Boarding Passes as proof of having undertaken the journey is a requirement under the rules and procedures for passing TA claims, all concerned are required to follow these instructions. Ministries/Departments etc. are accordingly advised that these instructions may be brought to the notice of all concerned for strict compliance.


(Subhash Chand)
Director

To,
All Ministries/Departments of the Govt. of India, etc. as per standard distribution list.

Copy to:

1. C&AG and UPSC, etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

✓ 2. NIC, MoF with the request to upload the OM on the website of Ministry of Finance.